



















# नकली नोट छापने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार

► 1,40,900 रुपये के नकली नोट व सामान हुआ बरामद फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़।

कोतवाली मोहम्मदबाद पुलिस ने लाखों के नकली नोटों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

कोतवाली मोहम्मदबाद पुलिस ने कई दिन के प्रयास के बाद नकली नोट बनाने वाले गिरफ्तार के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर किया और उनकी निशानेही पर लाखों नकली नोट व नोट बनाने का सामान बरामद किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने पत्रकारों को बताया की कोतवाली मोहम्मदबाद पुलिस ने 12 नवम्बर को मुख्यालय की सूची पर ग्राम जाघुर गोवा जाने वाले अन्दरपास के पास धेरावंदी की पुलिस ने सर्वेश कुमार पुरुष जगनाथ

**धूमधाम से सम्पन्न हुआ ठाकुरजी व तुलसीजी का विवाह**

फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़। तुलसी विवाह आयोजन समिति फतेहाबाद द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में धूमधाम से बारात निकलकर बरामद्या चाट पर विधिवत मंत्रोच्चार के बीच विवाह संस्करण कराया गया। बारात धूमधाम से निकली गई। भक्तों द्वारा जगह-जाह पर चाय नशसा का वितरण किया गया। बारात में सुंदर मनमोहक झाँकियां निकली गई। जो दर्शकों को मंजुरुष्ट कर रही थीं राष्ट्र-कृष्ण की झांकी, रीढ़ सिंदूर सबको रिंग रही थीं। नगर नामिन का नुस्खा न सभी को खुल लम्हा रोशनीया एवं इंडियां तिराए से 3 बजे रात्रि में शुरू होकर कोतवाली रोड, फतेहाबाद के मुख्य मार्गों से होने सुभाष चौक होने हुई बारात सुबह 7 बजे बरगदाबाट पहुंची। जहां ठाकुरी और तुलसीजी का धूमधाम से बिवाह सम्पन्न हुआ। विवाह की सभी रस्में विधिवत अदा की गयीं इस शुभ अवसर पर तुलसी विवाह आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल तिवारी, महामंत्री गौव सक्सेना, हर्षिंग श्री, गुरुद्वारा, मन् शैरम गुरु, अमन बाथम अदि भक्तगण उपस्थित रहे।

# कार्तिक मेले की आधी-आधूरी तैयारियां देख विफरे डीएम

► सहयोग न करने वाले कर्मचारियों पर दर्ज करायी जाए एफआईआर  
► जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को दिये कड़े दिशा निर्देश

शमशाबाद, समृद्धि न्यूज़।

शमशाबाद ढाईवार पर लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था को देखने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पहुंचे। गंगा तट व्यवस्थाएं आधी अधिकारी देख जिला पंचायत कर्मचारी से नाराजगी जाती है। मेले में जो भी कर्मचारी सहयोग ना करें कायमगंज उप जिलाधिकारी को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कड़े निर्देश।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला पंचायत सत्र न्यायाधीश कक्ष संखा-09 ने तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बारी मुकदमा जगदीश द्वारा दिनांक 19.10.2000 को समय कार्बन 05:30 बजे को अपने घर से खेतों की तरफ शौच करने का रहा था। गांव की गोली बारी पुरुष रामकुमार, रामकुमार पुरुष लगामी उपर शिव्यु पुरुष कोमल ताकुर निवासी त्यारी इम्पाइलपूर थाना नवालगंज रस्ते में बालकरम धोबी के घर के पास थे। सेवाराम पर गमवीर के भाई श्यामवीर की लाइसेंस बन्दक थी। मुझे देखकर रामवीर कहने लगा कि साल जीवी तृप्त हुआ तिवार रिकार्ड करता है। आज तक देखता है और गाली देता है।

गोली मारकर घायल करने के विरोध किया, तो इतने में ही रामवीर व रामकुमार ने सेवाराम से कहा कि देखता है कि गोली हो मारे साले के गोली। इतने में ही सेवाराम ने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर बन्दक से फायर किये। जिससे मैं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं चिल्लाया तो मैंके पार महेन्द्र पुरुष जगराम जाटव उपर, जगराम पुरुष इतवारी लाल धोबी आ गये। ये लोग जानमाल की धमकी देते हुए गांव से उत्तर की ओर धारा गये। ये लोग जानमाल की धमकी देते हुए गांव से उत्तर की ओर धारा गये। तब उसने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य अधिकारी रामपाल धोबी ने जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया कि महिलाओं की गोली नहीं निकल पायी। जिससे गाड़ी लगभग 500 मीटर पहले से ही वापस हो गयी। वहीं बायां गया कि मैंके पार की सुरक्षा के लिए डेंड सेवशन तेराकी पीएसी लाटून, पीएसी, 20 दररा, 20 हेड कारंटेबिल, बीस महिला कारंटेबिल, 50 कारंटेबिल से मैले की निगरानी की जायें।

# गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला पंचायत सत्र न्यायाधीश कक्ष संखा-09-09 ने तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बारी मुकदमा जगदीश द्वारा दिनांक 19.10.2000 को समय कार्बन 05:30 बजे को अपने घर से खेतों की तरफ शौच करने का रहा था। गांव की गोली बारी पुरुष रामकुमार, रामकुमार पुरुष लगामी उपर शिव्यु पुरुष कोमल ताकुर निवासी त्यारी इम्पाइलपूर थाना नवालगंज रस्ते में बालकरम धोबी के घर के पास थे। सेवाराम पर गमवीर के भाई श्यामवीर की लाइसेंस बन्दक थी। मुझे देखकर रामवीर कहने लगा कि साल जीवी तृप्त हुआ तिवार रिकार्ड करता है। आज तक देखता है और गाली देता है।

गोली मारकर घायल करने के विरोध किया, तो इतने में ही रामवीर व रामकुमार ने सेवाराम से कहा कि गोली हो मारे साले के गोली। इतने में ही सेवाराम ने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर बन्दक से फायर किये। जिससे मैं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं चिल्लाया तो मैंके पार महेन्द्र पुरुष जगराम जाटव उपर, जगराम पुरुष इतवारी लाल धोबी आ गये। ये लोग जानमाल की धमकी देते हुए गांव से उत्तर की ओर धारा गये। तब उसने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य अधिकारी रामपाल धोबी ने जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया कि महिलाओं की गोली नहीं निकल पायी। जिससे गाड़ी लगभग 500 मीटर पहले से ही वापस हो गयी। वहीं बायां गया कि मैंके पार की सुरक्षा के लिए डेंड सेवशन तेराकी पीएसी लाटून, पीएसी, 20 दररा, 20 हेड कारंटेबिल, बीस महिला कारंटेबिल, 50 कारंटेबिल से मैले की निगरानी की जायें।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला पंचायत सत्र न्यायाधीश कक्ष संखा-09-09 ने तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बारी मुकदमा जगदीश द्वारा दिनांक 19.10.2000 को समय कार्बन 05:30 बजे को अपने घर से खेतों की तरफ शौच करने का रहा था। गांव की गोली बारी पुरुष रामकुमार, रामकुमार पुरुष लगामी उपर शिव्यु पुरुष कोमल ताकुर निवासी त्यारी इम्पाइलपूर थाना नवालगंज रस्ते में बालकरम धोबी के घर के पास थे। सेवाराम पर गमवीर के भाई श्यामवीर की लाइसेंस बन्दक थी। मुझे देखकर रामवीर कहने लगा कि साल जीवी तृप्त हुआ तिवार रिकार्ड करता है। आज तक देखता है और गाली देता है।

गोली मारकर घायल करने के विरोध किया, तो इतने में ही रामवीर व रामकुमार ने सेवाराम से कहा कि गोली हो मारे साले के गोली। इतने में ही सेवाराम ने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर बन्दक से फायर किये। जिससे मैं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं चिल्लाया तो मैंके पार महेन्द्र पुरुष जगराम जाटव उपर, जगराम पुरुष इतवारी लाल धोबी आ गये। ये लोग जानमाल की धमकी देते हुए गांव से उत्तर की ओर धारा गये। तब उसने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य अधिकारी रामपाल धोबी ने जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया कि महिलाओं की गोली नहीं निकल पायी। जिससे गाड़ी लगभग 500 मीटर पहले से ही वापस हो गयी। वहीं बायां गया कि मैंके पार की सुरक्षा के लिए डेंड सेवशन तेराकी पीएसी लाटून, पीएसी, 20 दररा, 20 हेड कारंटेबिल, बीस महिला कारंटेबिल, 50 कारंटेबिल से मैले की निगरानी की जायें।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

फर्स्टखाबाद, समृद्धि न्यूज़।

गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला पंचायत सत्र न्यायाधीश कक्ष संखा-09-09 ने तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बारी मुकदमा जगदीश द्वारा दिनांक 19.10.2000 को समय कार्बन 05:30 बजे को अपने घर से खेतों की तरफ शौच करने का रहा था। गांव की गोली बारी पुरुष रामकुमार, रामकुमार पुरुष लगामी उपर शिव्यु पुरुष कोमल ताकुर निवासी त्यारी इम्पाइलपूर थाना नवालगंज रस्ते में बालकरम धोबी के घर के पास थे। सेवाराम पर गमवीर के भाई श्यामवीर की लाइसेंस बन्दक थी। मुझे देखकर रामवीर कहने लगा कि साल जीवी तृप्त हुआ तिवार रिकार्ड करता है। आज तक देखता है और गाली देता है।

गोली मारकर घायल करने के विरोध किया, तो इतने में ही रामवीर व रामकुमार ने सेवाराम से कहा कि गो



